ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 01, Jan 2019

संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार

[1]डॉ0 बिपिन कुमार शुक्ल

[1]एसो0प्रो0–राजनीति विज्ञान फ0अ0अ0 राजकीय स्ना0 महाविद्यालय, महमूदाबाद (सीतापुर) उ0प्र0

Received: 07 Jan 2019, Accepted: 13 Jan 2019 ; Published on line: 15 Jan 2019

Abstract

मानवाधिकारों का विचार मूल रूप से मानवीय गरिमा और मूल्यों से जुड़ा विचार है ।इन अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु विश्व व्यवस्था के राष्ट्रों ने मानवाधिकार के विचार को अपने संविधानों में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु साझा प्रयास किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सबसे महत्वपूर्ण मंच संयुक्त राष्ट्र का मंच है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के साथ–साथ मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के विचार को समान रूप से महत्व प्रदान किया गया है। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात उभरे नवीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में कई ऐसी नवीन प्रवृत्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने राष्ट्र विशेष की सीमाओं के अंतर्गत कतिपय ऐसी समस्याओं को जन्म दिया जो उस राष्ट्र विशेष तक सीमित न रहकर संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बनी। मानवाधिकारों का उल्लंघन और मानवीय संकट भी इसी तरह की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं । प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का विश्लेषण करना है।

शब्द कुंजी : – मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, उदारीकरण, भूमण्डलीकरण, गृहयुद्ध, नृजातीय संघर्ष, मानवीय सहायता, मानवीय हस्तक्षेप आदि।

Introduction

मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त हैं। मानवीय होने के नाते मानवाधिकारों की प्रकृति सार्वभौमिक और अपरिहार्य स्वरूप की है। ये वे अधिकार हैं जो सारी मानव जाति को सार्वभौमिक रूप से प्राप्त हैं और इन्हें उनसे अलग नहीं किया जा सकता। 'अंतर्निहित अधिकार', 'प्राकृतिक अधिकार' या 'मौलिक अधिकार' आदि संज्ञाएं मानव अधिकार के लिए प्रयोग की जाती रही हैं। साधारण शब्दों में मानव अधिकार का तात्पर्य ''उन परिस्थितियों से है जिनकी मौजूदगी मानव की प्रकृति प्रदत्त अंतर्निहित विशेषताओं के पूर्ण विकास और प्राप्ति हेतु अपरिहार्य मानी जाती है।''

यद्यपि मानव अधिकारों से संबंधित आधुनिक संकल्पना मुख्य रूप से बीसवीं शताब्दी के दौरान प्रचलन में आयी लेकिन यदि हम इन अधिकारों के मूल को ऐतिहासिक संदर्भ में खोजना चाहें तो

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 01, Jan 2019

इनके मूल हमें सभ्यता के विकास के साथ ही दिखाई देते हैं ,जहां इनकी चर्चा प्राकृतिक अधिकारों के रूप में की गई। प्राचीन यूनानी नाटक 'एंटीगोन' में इन अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में उल्लेखित किया गया है। स्टोइक दार्शनिकों द्वारा मानव अधिकारों की प्रकृति को मानवीय मूल्यों से जोड़ा गया यद्यपि मध्ययुग में मानव अधिकारों पर बहुत ज्यादा बल नहीं दिया गया लेकिन ब्रिटिश मैग्नाकार्टा(1215) और उसके बाद ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स (1689)अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा(1768), फ्रांसीसी क्रांति(1789) आदि के माध्यम से स्वतंत्रता और समानता जैसे मौलिक मानवाधिकारों को प्रोत्साहन दिया गया।

मानवाधिकारों की आधुनिक संकल्पना मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्धोत्तर परिदृश्य पर उभरती हुई दिखाई देती है, जब द्वितीय विश्व युद्ध में विजित राष्ट्रों द्वारा आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के साथ–साथ मानवीय गरिमा और मूल्यों को संरक्षित करने और मौलिक स्वतंत्रता के विचार को अक्षुण्ण रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र रुपी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण का निर्णय लिया गया। 1945 में अस्तिव में आए संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में ही इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाने के साथ–साथ मानव अधिकारों में मानवीय गरिमा और महत्व तथा स्त्री एवं पुरुष के समान अधिकारों में पुनः आस्था स्थापित करना है। जहां तक मानव अधिकारों से संबंधित प्रावधानों के उल्लेख का संबंध है संयुक्त राष्ट्र चार्टर रूपी माला में मानव अधिकार संबंधी प्रावधान मोतियों की तरह पिरोए हुए हैं । संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 1(3) में संयुक्त राष्ट्र के 4 उद्देश्यों में से एक उद्देश्य '' मानव अधिकारों तथा सभी के लिए बिना जाति, लिंग, भाषा और धर्म के भेदभाव के मौलिक स्वतंत्रता को उन्नत एवं प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है।'' चार्टर की धारा 13(ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा को इस संबंध में अध्ययन आरंभ करने और अनुशंसा करने का दायित्व सौंपती है। पुनः चार्टर की धारा 55 के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सहयोग के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के जिन उद्देश्यों की चर्चा की गई है, उनका प्रमुख उद्देश्य मानव अधिकारों को बढ़ावा देना ही है। धारा 56 के अंतर्गत सभी सदस्य राष्ट्र इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि धारा 55 के अंतर्गत जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा की गई है उसके लिए वे संयुक्त राष्ट्र के साथ परस्पर मिलकर अथवा अलग–अलग कार्यवाही करेंगे। पुनः चार्टर की धारा 62 के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आर्थिक परिषद को मानव अधिकारों के प्रोत्साहन हेतु एक आयोग गठन करने की सिफारिश की गई है। साथ ही साथ धारा 76(ग) में यह कहा गया है कि न्यास प्रदेशों में रहने वाले लोगों के मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था को बढ़ाया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र में कहीं भी मानवाधिकारों को परिभाषित करने का प्रयास नहीं किया गया है बल्कि संयुक्त राष्ट्र को केवल मानव अधिकारों को संरक्षित एवं संवर्धित के करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मानव अधिकार आयोग (1945) की स्थापना के साथ संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों के संरक्षक के रूप में अपनी यात्रा आरंभ की । 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के मसौदे को स्वीकार किया गया ।

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 01, Jan 2019

मानव अधिकारों के प्रोत्साहन में संलग्न संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगः

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने के उपरांत संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में मानव अधिकारों के प्रोत्साहन एवं उनके उल्लंघन को रोकने के लिए विभिन्न साधन एवं प्रक्रियाएं अस्तित्व में आयीं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग और संस्थाएं जो इस दिशा में सक्रिय रहे वे इस प्रकार हैं–

1–**संयुक्त राष्ट्र महासभाः** संयुक्त राष्ट्र की महासभा संयुक्त राष्ट्र सामाजिक–आर्थिक परिषद तथा विशिष्ट समिति द्वारा सौपें गए मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का मूल्यांकन एवं तद्नुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत है।

2–**सामाजिक–आर्थिक परिषदः** संयुक्त राष्ट्र की 54 सदस्यों वाली सामाजिक–आर्थिक परिषद मानव अधिकार संबंधी अनुशंसा को संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपने के साथ–साथ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रतिवेदन और संकल्पों की विवेचना करती है। इस कार्य हेतु सामाजिक–आर्थिक परिषद ने अपने अधीन महिलाओं की प्रस्थिति पर आयोग, मानवाधिकार आयोग, विभेद उन्मूलन एवं अल्पसंख्यक संरक्षण पर उप आयोग, अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक न्याय पर आयोग आदि का गठन किया है।

3–**संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग :** मानव अधिकारों के संदर्भ में सबसे प्रमुख नीति नियामक संस्था है जो मानव अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संविदाओं एवं घोषणाओं को तैयार करती है। साथ ही साथ मानव अधिकारों के क्षेत्र में हो रहे उल्लंघन के संदर्भ में अध्ययन एवं उनको रोकने के उपाय खोजती है।

इसी प्रकार **विभेद उन्मूलन एवं अल्पसंख्यक संरक्षण पर उप आयोग** अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नृजातीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हो रहे विभिन्न मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने हेतु उपाय सुझाता है।

महिलाओं की प्रस्थिति पर गठित आयोग मुख्य रूप से महिलाओं के राजनीतिक ,आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में अधिकारों के उन्नयन के लिए संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक परिषद को विभिन्न सुझाव एवं आख्या प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ महिला अधिकारों को लागू करने के क्षेत्र में उत्पन्न हो रही समस्याओं को रेखांकित करता है। वहीं अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक न्याय आयोग संयुक्त राष्ट्र में अपराध नियंत्रण एवं निगरानी हेतु कार्यशील एक अन्य महत्वपूर्ण संगठन है।

इसके अतिरिक्त **संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समिति** ,**अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन** ,**बाल कोष**, **शरणार्थी उच्चायुक्त** **संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को)** आदि के माध्यम से भी मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रयास करता है ।

मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु प्रयास :

10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के साथ मानव अधिकार के संरक्षण एवं संवर्धन की जो यात्रा आरंभ हुई वह अद्यतन निरंतर जारी है । यद्यपि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से पूर्व ही 1945 में मानव अधिकार आयोग एवं

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 01, Jan 2019

1946 में महिलाओं की प्रस्थिति पर आयोग की स्थापना के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र ने इस दिशा में पहल आरंभ कर दी थी । संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जो प्रयास किए गए उनको हम निम्नवत वर्गीकृत कर सकते है–

1–**मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडो का निर्धारणः** संयुक्त राष्ट्र विभिन्न घोषणाओं सिद्धांतों प्रस्ताव और समझौतों के माध्यम से मानव अधिकार के मानदंडों का निर्धारण तथा मानव अधिकारों को निरंतर स्पष्ट करने का प्रयास करता रहा है।

2–**मानव अधिकारों का संरक्षण एवं उन्नयनः** मानव अधिकारों को अधिकाधिक साकार करने हेतु संयुक्त राष्ट्र इस क्षेत्र में मानव अधिकारों की अनुशंसा का कार्य करता रहा है। विशिष्ट मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र वार्ता/निंदा अथवा प्रतिबंधों के माध्यम से मानव अधिकारों के संरक्षण एवं उन्नयन की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

3– **मानव अधिकारों के परामर्शदाता के रूप मेंः**

संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के सन्दर्भ में सदस्य राष्ट्रों के परामर्शदाता के रुप में भी कार्य करता है। मानवाधिकार सम्बन्धी आंकड़ो को उपलब्ध कराना, नीतिनिर्माण में परामर्श तथा मानवाधिकार सम्बन्धी संस्थाओं की स्थाना और कार्य पद्धति में सहयोग आदि कार्य भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा संपादित किये जाते है।

4– **मानवीय सहायता कार्यः** विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में मानवाधिकारों के हनन के मामले में शिकार व्यक्तियों और समूहों को सहायता प्रदान करना संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण कार्य रहा है। संयुक्त राष्ट्र आज इस दायित्व का निर्वहन मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) तथा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के माध्यम से संपादित करता है।

मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में कुछ प्रमुख प्रलेख तैयार किए गए हैं जो इस प्रकार हैं –मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा (1948) ,आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (1966), नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी प्रसंविदा (1966), तथा राजनीतिक अधिकारों संबंधी प्रसंविदा की ऐच्छिक व्यवस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें सामान्य रूप से मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल के रूप में स्वीकार किया जाता है । इन प्रसंविदाओं के पीछे मूल रूप से नैतिक बल ही कार्य करता है परंतु वे राष्ट्र जिन्होंने इनकी पुष्टि कर दी है उन पर वे बाध्यकारी रूप से लागू होती हैं।

10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 धाराएं सम्मिलित हैं जिनमें मुख्य रूप से जीवन स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार ,कानून के समक्ष समानता का अधिकार, आवागमन एवं निवास की स्वतंत्रता, शोषण से बचने के लिए आश्रय का अधिकार, विचार ,अन्तःकरण और धर्म की स्वतंत्रता, मतदान एवं शासन में भाग लेने का अधिकार ,सामाजिक सुरक्षा का अधिकार ,आजीविका चुनने का अधिकार, विश्राम अवकाश का अधिकार ,स्वास्थ्य का अधिकार ,शिक्षा का अधिकार आदि अधिकारों को प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया है। विश्व के अधिकांश

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 01, Jan 2019

लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने अपने संविधान में उक्त अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों के इस घोषणा पत्र के कानूनी स्वरूप के संदर्भ में मतैक्य नहीं है ।इन अधिकारों को अधिकांशतः विधिक न मानकर इनके पीछे विद्यमान नैतिक बल को ही स्वीकार किया गया है जो सदस्य राष्ट्रों को इन्हें लागू करने की प्रेरणा देता है।

मानवाधिकारों के संरक्षक एवं सम्वर्द्धक के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों को स्पष्ट करने ,उनके संरक्षण ,संवर्धन एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किए जाने के प्रेरणा स्रोत के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान किया है । संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों और उनसे जुड़ी विभिन्न स्वतंत्रताओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय प्रलेख जारी किए उनको लागू करने के लिए उसने न केवल अपने विभिन्न अंगों बल्कि अन्य संस्थाओं एवं गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से सराहनीय प्रयास किए हैं।संयुक्त राष्ट्र द्वारा सामूहिक नृजातीय हिंसा उन्मूलन ,दास प्रथा उन्मूलन, रंगभेद उन्मूलन तथा वर्ण, नृजाति ,लिंग ,धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव की समाप्ति आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया गया। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों, विस्थापितों ,प्रवासी श्रमिकों ,राज्य विहीन व्यक्तियों ,दिव्यांगों एवं कैदियों आदि के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। कहने का अभिप्राय यह है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पश्चात से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सराहनीय रही है।

शीतयुद्धोत्तर काल में मानव संकट और संयुक्त राष्ट्र

शीत युद्धोत्तर काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और मानवीय संकट की प्रवृत्तियों का तेजी से उभार दिखाई देता है। आर्थिक उदारीकरण , भूमंडलीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार के इस दौर में राज्य संप्रभुता में अपघटित हो रहे ह्रास और नागरिक समाज की सक्रियता के परिणाम स्वरूप नृजातीय संघर्षों, गृह युद्धों और राज्य के विघटन की प्रवृत्तियों ने गंभीर मानव संकटों को जन्म दिया। परिणामस्वरूप शरणार्थी ,विस्थापित एवं गृह युद्ध में फंसे लोगों के रूप में एक बड़ा मानवीय संकट उभरकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष चुनौती के रूप में आया और इस निमित्त पीड़ितों को राहत पहुंचाने और सहायता की आवश्यकता को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने महसूस किया। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र को अपने चार्टर के अनुच्छेद 2(7)की अनदेखी करते हुए मानवीय संकट के मद्देनजर पीड़ितों को सहायता पहुंचाने हेतु राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ा । यद्यपि कतिपय मामलों में संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आलोचना का शिकार भी होना पड़ा विशेषकर उन स्थितियों में जहां मानव अधिकारों को बहाल करने के नाम पर सरकार और राजनेताओं को दंडित करने के राजनीतिक उद्देश्य से कार्यवाही की गई।

मानवाधिकारों के संरक्षक के रुप में संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमाएं :

परंतु संयुक्त राष्ट्र के इन प्रयासों का यह अर्थ नहीं है कि वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का विचार समाप्त हो गया । संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान इस बात को स्वीकार करते हैं कि ''आज भी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनमानस भुखमरी ,आश्रय हीनता ,चिकित्सा

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 01, Jan 2019

सुविधाओं की कमी तथा शिक्षा, रोजगार और आजीविका को लेकर समस्याओं से जूझ रहा है। इसके अतिरिक्त विश्व के कई देशों में रंगभेद ,नृजातीय संघर्ष, धर्म आधारित भेद और लिंग भेद आदि के आधार पर मानवाधिकारों का उल्लंघन निरंतर जारी है।''

मानव अधिकारों के लगातार हो रहे इस उल्लंघन हेतु कई महत्वपूर्ण कारण स्वयं संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में विद्यमान हैं। यथा–

1– संयुक्त राष्ट्र चार्टर में विद्यमान मानव अधिकार संबंधी प्रावधानों का अबाध्यकारी स्वरूप। यद्यपि मानव अधिकार संबंधी प्रसंविदाएं पक्षकारी राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं परंतु इन प्रसंविदाओं की व्यापक पुष्टि न होने के कारण वे व्यवहार में ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं।

2– संयुक्त राष्ट्र व्यवहार में राज्य की संप्रभुता और मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के मध्य विद्यमान अंतर्विरोध के समक्ष कई बार पंगु बनकर रह गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2(7) सदस्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप का प्रावधान करता है। इस प्रावधान के चलते संयुक्त राष्ट्र राज्य विशेष में हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने, सीमित करने और मानव अधिकारों को संरक्षित करने के अपने प्रयास में स्वतंत्र रूप से कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है।

3– इसके अतिरिक्त विश्व के किसी क्षेत्र में यदि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति, समूह अथवा वर्ग की सहायता हेतु संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के पास मानव अधिकारों की निगरानी करने और उनकी रक्षा करने के पर्याप्त प्रभावी साधनों का भी अभाव है।

4– विश्व व्यवस्था के विभिन्न राष्ट्रों के मध्य विद्यमान सामाजिक ,आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विभिन्नताओं के परिणामस्वरूप कतिपय मौलिक अधिकारों को सार्वभौमिक रूप से लागू करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उपसंहार :

संक्षेप में यह बात स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र अकेले मानवाधिकारों के विचार को सार्वभौमिक रूप से वैश्विक स्तर पर लागू करने में सक्षम नहीं है। अधिकारों को लागू करने का मुख्य दायित्व राज्यों का है और उन्हें लागू करने वाली संस्थाएं प्राथमिक रूप से राज्य स्तरीय होती हैं ।इसके लिए राज्य इकाइयों के स्तर पर विद्यमान संस्थाओं, प्रबुद्ध वर्ग और सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एक संस्कृति विकसित करें।

संदर्भ सूची:

1– मीना शिरीषः संयुक्त राष्ट्र संघ सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष,2004, नई दिल्ली
2–MP Dubey & Neeta Bora : Prospectives on Human Right, India 2000
3- C.J. Nirmal : Human Rights in India, Oxford University Press, 1999
4-Ram Ahuja : Rights of Women, India 1992

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 01, Jan 2019

5- A.K Dass & P.K Mohanty : Human Rights in India, New Delhi 2007
6- मानवाधिकार स्रोत ग्रंथ NCRT 1998
7- राजकिशोर : मानवाधिकारों का संघर्ष, नई दिल्ली 1995
8. P.K Kamath : Reforming the United Nations, New Delhi 2007
9- Word Focus, Vol. 22, No 1 Jan 2001
10- Challenges of Human Right Hong Cong 2007